

केंद्रीय विद्यालय आर ए एफ वस्त्राल, अहमदाबाद में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश सूचना

केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केंद्रीय विद्यालय आर ए एफ वस्त्राल में बाल वाटिका-1, बाल वाटिका-2, बाल वाटिका-3, एवं कक्षा-I से V तक ऑफ लाइन माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया **20 जुलाई 2026 प्रातः 10:00 बजे** से प्रारम्भ की जा रही है।



उक्त सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन पत्र विद्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर, सावधानीपूर्वक भरकर विद्यालय कार्यालय में अंतिम तिथि **01 अगस्त 2026 सायं 3:00 बजे** तक जमा करना होगा।

3. आयु सीमा (31 मार्च 2026 के अनुसार)

कक्षा	आयु सीमा	कक्षा	आयु सीमा
बाल वाटिका-1	3 से 4 वर्ष	कक्षा II	7 से 9 वर्ष
बाल वाटिका-2	4 से 5 वर्ष	कक्षा III	8 से 10 वर्ष
बाल वाटिका-3	5 से 6 वर्ष	कक्षा IV	9 से 11 वर्ष
कक्षा-I	6 से 8 वर्ष	कक्षा V	10 से 12 वर्ष

4. चयन सूची



पंजीकृत विद्यार्थियों की प्रारम्भिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रवेश अनुसूची के अनुसार **10 अगस्त 2026** को प्रदर्शित की जाएगी।

5. अभिभावकों को निम्न दस्तावेज आवश्यक प्रस्तुत करने होंगे:



- विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र
- एड्रेस प्रूफ : मूल निवास प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड/किरायानामा/बिजली बिल (जो भी लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो- 02
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC-NCL, यदि लागू हो), OBC-NCL प्रमाण पत्र 06 माह से पुराना न हो। EWS/BPL प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- सेवा प्रमाण पत्र (केंद्रीय/राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए)
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) - कक्षा II से V तक
- आधार कार्ड (विद्यार्थी/अभिभावक)/ रक्त समूह एवं अन्य आवश्यक विवरण

6. प्रवेश में प्राथमिकताएँ

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा:

- केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।
- भारत सरकार के स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे, अर्थात् वे सभी जो उपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में शामिल नहीं हैं।



टिप्पणी : प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

7. प्रवेश में आरक्षण

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी।

ii. दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए नए प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांग (CwSN) विद्यार्थियों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी।

iii. शिक्षा का अधिकार/RTE के अंतर्गत प्रवेश सभी केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार/RTE के अंतर्गत प्रवेश सभी कक्षाओं के लिए KVS के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।



प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी वेब साइट <https://kvsangathan.nic.in/en/admission/> अथवा केंद्रीय विद्यालय वस्त्राल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।



अभिभावकों से अनुरोध है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण कराकर अपने बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(प्राचार्य)
केंद्रीय विद्यालय वस्त्राल

Admission Notice for the Academic Session 2026–27

Kendriya Vidyalaya, R.A.F. Vastral, Ahmedabad

As per the directions of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS), New Delhi, the offline admission process for the Academic Session 2026–27 at Kendriya Vidyalaya R.A.F. Vastral will commence from **20 July 2026 at 10:00 a.m.** for Balvatika–1, Balvatika–2, Balvatika–3, and Classes I to V.



Application forms for admission to the above-mentioned classes may be obtained free of cost from the school. The duly completed application forms must be submitted to the school office on or before **01 August 2026 by 3:00 p.m.**

3. Age Criteria (as on 31 March 2026)

Class	Age Limit	Class	Age Limit
Balvatika–1	3 to 4 years	Class II	7 to 9 years
Balvatika–2	4 to 5 years	Class III	8 to 10 years
Balvatika–3	5 to 6 years	Class IV	9 to 11 years
Class I	6 to 8 years	Class V	10 to 12 years

4. Selection List



The provisional selection list and the waiting list of registered students will be displayed on the Kendriya Vidyalaya website and the school notice board on **10 August 2026**, as per the admission schedule.

5. Documents Required from Parents/Guardians

The following documents must be submitted:

1. Birth Certificate of the student.
2. Proof of Address (any one, as applicable): Domicile Certificate, Aadhaar Card, Ration Card, Rent Agreement, or Electricity Bill.
3. Two passport-size photographs.
4. Caste Certificate (SC/ST/OBC-NCL, if applicable). The OBC-NCL certificate should not be older than six months. EWS/BPL Certificate (if applicable).
5. Service Certificate (for Central/State Government employees).
6. Transfer Certificate (TC) – for admission to Classes II to V.
7. Aadhaar Card of the student/parent, Blood Group details, and any other required information.

6. Admission Priorities

Admissions will be granted according to the following order of priority:

- I. Children of transferable and non-transferable employees of the Central Government, including Ex-servicemen.
- II. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings, and Higher Educational Institutions under the Government of India.
- III. Children of transferable and non-transferable employees of the State Government.
- IV. Children of transferable and non-transferable employees of State Government Autonomous Bodies, Public Sector Undertakings, and Higher Educational Institutions.
- V. Children belonging to all other categories not covered under Categories I to IV.



Note: Priority for admission will be determined on the basis of the number of transfers of the parent/guardian within the preceding seven years.

7. Reservation Policy

i. Reservation for SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer)

In all Kendriya Vidyalayas, 15% of seats for fresh admissions are reserved for Scheduled Castes (SC), 7.5% for Scheduled Tribes (ST) and 27% for Other Backward Classes (Non-Creamy Layer).

ii. Reservation for Divyang (CwSN)

3% of the available seats for fresh admissions are reserved horizontally for Divyang (CwSN) students.

iii. Admission under Right to Education (RTE)

Admission under RTE will be provided for all classes as per KVS norms.



All information regarding the admission process can be obtained from the website <https://kvsangathan.nic.in/en/admission/> or from the Kendriya Vidyalaya Vastral office.

Parents/Guardians are requested to complete the registration process for their children within the stipulated time.

(Principal)

Kendriya Vidyalaya Vastral



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली/ Head Quarters, New Delhi
website: www.kvsangathan.nic.in
Email: addl.com.admn@kvs.gov.in

दूरभाष /Tel : 011-26855532

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली/

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

Comp No. 23876

F. 11-Adm1072/10/2024-Admn-I /1031-50

Dated: 10.07.2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 03.10.2025 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय 100 बटालियन आर.ए. एफ. /के.रि.पु.बल, वस्त्राल, जिला अहमदाबाद, गुजरात (संसदीय क्षेत्र - अहमदाबाद (पूर्व)) अक्तूबर, 2025 में स्वीकृत 57 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र, 2026-27 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

केवि कोड	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय सत्र 2026-27 से संचालित किया जाएगा
2547	केन्द्रीय विद्यालय 100 बटालियन आर.ए. एफ /के.रि.पु.बल, वस्त्राल, जिला अहमदाबाद, गुजरात	केन्द्रीय विद्यालय 100 बटालियन आर.ए. एफ /के.रि.पु.बल परिसर, वस्त्राल, जिला अहमदाबाद, गुजरात -382418

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा बालवाटिका I से III तक, कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि एवं अस्थाई भवन के अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद 30 दिवस के भीतर सम्पन्न कर ली जाए।


(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.स.।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.स.।
3. वरिष्ठ पी. पी. एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.स.।

4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार।
5. पी.एस.ओ., संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं.।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92
8. अपर आयुक्त (शैक्षिक) केविसं।
9. निदेशक (के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्त/प्रशिक्षण/कार्मिक), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
13. कमांडेंट तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति, केन्द्रीय विद्यालय 100 बटालियन आर.ए. एफ /के.रि.पु.बल, वस्त्राल, जिला अहमदाबाद, गुजरात को सूचनार्थ।
14. उपायुक्त, के.वि.स. (क्षे.का.) अहमदाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर के.वि. संचालित करें।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.स., सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
16. सहायक आयुक्त (आई.टी.) को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
17. सहायक आयुक्त (स्था. I/II/III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
18. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
19. अध्यक्ष/सचिव के.वि.स. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
20. गार्ड फाइल।



केंद्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

Under Ministry of Education, Govt. of India

मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi

Website: www.kvsangathan.nic.in

Email: adtl.com.admn@kvs.gov.in

Tel: 011-26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

Comp No. 23876

F. 11-Adm1072/10/2024-Admn-I 11031-50

Dated 10.07.2026

OFFICE ORDER

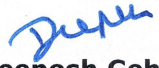
Kendriya Vidyalaya Sangathan vide Office-Order dated 03.10.2025, conveyed the approval of Government of India, for establishing 57 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya 100 Bn. RAF/CRPF, Vastral, District Ahmedabad, Gujarat in Parliamentary Constituency Ahmedabad (East)** is one of the 57 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in October, 2025.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect from the session, 2026-27 at the following location:-

KV Code	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2026-27 at:
2547	Kendriya Vidyalaya 100 Bn. RAF/CRPF, Vastral, District Ahmedabad, Gujarat	Kendriya Vidyalaya 100 Bn. RAF/CRPF Campus, Vastral, District Ahmedabad, Gujarat-382418

The above Vidyalaya will start functioning from Balvatika I to III, class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed within 30 days after completion of all pending formalities of taking-over of land and temporary accommodation, if any.


(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn.)

Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Hon'ble MoS (Education)-cum -Joint Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to the Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
4. PS to the Secretary (Education), Department of School Education, Gujarat.
5. PSO to the Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS.
6. PS to the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.

7. PS to the Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.
8. The Additional Commissioner (Acad), KVS.
9. The Director (KVS), MoE, Kartavya Bhawan-2, New Delhi.
10. The Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), KVS.
11. The Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
12. The Superintending Engineer, KVS Hqrs- for information & necessary action.
13. The Commandant & Chairman, VMC Kendriya Vidyalaya 100 Bn. RAF/CRPF, Vastral, District Ahmedabad, Gujarat for information.
14. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Ahmedabad with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Director, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Assistant Commissioner (IT), KVS with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/Estt.II/Estt.III), for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
19. President/General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
20. Guard File.